कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्याः–19फ / 17–एन / 2009 / लखनऊः दिनांकः 30 जनवरी, 2013

–:आदेशः–

उ0प्र0 नर्सिंग अराजपत्रित सेवा नियमवाली, 1999 एवं शासनादेश संख्या–2958 / पांच–11–10–एन(135) / 2010, दिनांक 13.01.2011 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित उपचारिकाओं की प्रोन्नति सिस्टर(नर्सिंग सिस्टर / वार्ड नर्सिंग मास्टर) के पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रु0 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800 / – में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ की जाती हैः–

1: यह प्रोन्नति ऐसे कर्मियों पर प्रभावी नहीं होगी, जिनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनिक कार्यवाही, निलम्बन, सेवा समाप्ति की नोटिस प्रभावी हो या लम्बे समय से अनुपस्थित हो, मृत्यु, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, न्यायालय वाद / न्यायालय द्वारा बृहद दण्ड / दण्डित किया जाना, सम्भावित हो। उक्त की पुष्टि के उपरान्त ही संबंधित अधिकारी आदेशों को तामील करायें।

2: यह प्रोन्नति अस्वीकार / फोरगो करने पर उचित माध्यम द्वारा अग्रसारित प्रार्थना–पत्र एक माह के अन्दर महानिदेशालय से स्वीकृत करा लें, एक माह के अन्तर्गत तैनाती पर योगदान न करने पर स्वतः फारगो माना जायेगा। फारगो होने पर नियमानुसार आगे सेलेक्शन ग्रेड / प्रोन्नति वेतनमान का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। स्थानान्तरण से आच्छादित होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा फारगो से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर अगले दो चयन वर्ष तक के कर्मियों की प्रोन्नति के उपरान्त ही उनके प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जायेगा।

3: वरिष्ठता कमांक विसंगति / न्यायालय वाद या अन्य कोई प्रकरण प्रकाश में आते हैं, तो नियोक्ता को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह बिना बताये, प्रोन्नति में परिवर्तन, परिवर्धन / स्थगन या निरस्तीकरण से किसी एक या सभी पर कार्यवाही कर सकता है।

4: यदि किसी कर्मी की प्रोन्नति पूर्व में हो चुकी हो और इस सूची में भी उसका नाम हो, तो उनकी प्रोन्नति प्रभावी नहीं होगी।

उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रोन्नति प्राप्त कर्मियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण करा लिया जाये। इनके तैनाती के आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

कार्यभार ग्रहण के प्रभार प्रमाण–पत्र उपचारिका अनुभाग–19 को भेजे जायें, स्थानान्तरण आदि के फलस्वरूप यदि किसी कर्मियों की वर्तमान तैनाती परिवर्तित हो गयी हो, तो संबंधित आदेश वहां भेज दिये जायें।

क0	वरिष्ठता कमांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1704	ऊषारानी श्रीवास्तव	जिला महिला चिकित्सालय, झांसी।
2	1969	गोमती देवी	जिला चिकित्सालय, हरदोई।
3	2265	सलोमी कुमार	जिला महिला चिकित्सालय, मुरादाबाद।
4	2263	एलिशा यादव	एस0एन0 चिकित्सालय, आगरा।
5	2317	शिवकान्ती सचान	एल0एल0आर0चिकि0, कानपुर।

उपरोक्त आदेश के क्रम में अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें।

(रमा सिंह)
महानिदेशक

संख्याः–19फ / 17–एन / 2009 / 619–27

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ।
2. समस्त सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त सम्बन्धित निदेशक एवं प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला / संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त सम्बन्धित निदेशक एवं प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त सम्बन्धित प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त सम्बन्धित कर्मचारी।
9. गार्ड फाइल।

30/1/13

(बी0एस0 अरोड़ा)
निदेशक (चिकित्सा उपचार)